न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,षष्टम् सह विशेष न्यायाधीश
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम
बिहारशरीफ,नालन्दा।
उपस्थितिः— धीरज कुमार भास्कर,अपर सत्र न्यायाधीश,षष्टम् सह विशेष न्यायाधीश
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम
बिहारशरीफ,नालन्दा।

अग्रिम जमानत आवेदन सं0 2361/25

गोलू कुमार, पे0—कमल किशोर सिंह उर्फ नोखन यादव
साकिन—मंझौली, थाना—सलीमपुर, जिला—पटना...........आवेदक
बनाम
बिहार सरकार

12.03.2026

नूरसराय थाना कांड संख्या—73/2025 अंतर्गत धारा—103(1), 3(5) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा—27 शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत आवेदक गोलू कुमार की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जिसकी प्रति विद्वान् विशेष लोक अभियोजक को प्राप्त करा दिया गया है। आवेदक की ओर से दाखिल जमानत आवेदन पर आज सुनवाई की गयी।

उक्त जमानत आवेदन पर आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता एवं अभियोजन की ओर से विद्वान् विशेष लोक अभियोजक को सुना गया।

आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि सूचिका रानी कुमारी चौकीदार 3/5 के फर्दब्यान के आधार पर नूरसराय थाना कांड सं0—73/2025 दर्ज किया गया। आवेदक प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त नहीं है। आवेदक पूर्व में अग्रिम जमानत आवेदन या नियमित जमानत आवेदन न तो इस न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय,पटना में दाखिल किया है। आवेदक के विरूद्ध पूर्व से नूरसराय थाना कांड संख्या—88/25 लंबित है। उसके पास से कोई आपत्तिजनक सामाग्री बरामद नहीं हुआ है। वाद के सह अभियुक्त कारू कुमार, राजु कुमार के स्वीकारोक्ति व्यान के अलावा अन्य कोई साक्ष्य आवेदक के विरूद्ध नहीं है। वह बिल्कुल निर्दोष है। आवेदक को गिरफ्तार होने का भय है। वह बंध पत्र दाखिल करने को तैयार है। अतः उसे जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाए।

विद्वान् विशेष लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करते हैं।

सूचिका चौकीदार 3/5रानी कुमारी के द्वारा थाना में दिये गये फर्दब्यान के आधार पर अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि सूचिका दिनांक—12.02.25 को समय 01. 50 बजे अपने घर पर थी तो सूचना मिली कि अनिता देवी को अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सूचिका द्वारा थानाध्यक्ष महोदय को सूचना सेअवगत कराते हुए भूषण प्रसाद के घर जाकर देखी तो सड़क के सटे पश्चिम तरफ ईट का दो मंजिला मकान के अंदर हॉल में रस्सी से बना चारपाई पर मृत अवस्था में मृतिका लेटी हुई थी तथा उसके दाहिना नाक से खून बहता हुआ, गले के नीचे एवं छाती के बीचोबीच तथा पीठ पर गोली लगा हुआ काला धब्बा देखी। वहॉ दो बच्चा सोनू कुमार एवं मोनू कुमार ने बताया कि रात्रि 1.00 बजे दो व्यक्ति घर के अंदर आया और सोनू कुमार के ऊपर पिस्तौल तान दिया। दोनों डर से बगल में खड़ा हो गया तो दो गोली उसकी मम्मी अनिता देवी पर चलाया और स्कॉर्पियो गाड़ी से भाग गया।

जमानत आवेदन पर उभय पक्षों का तर्क सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक के विरूद्ध अभियोग है कि वह अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर अनिता देवी को गोली से फायर कर हत्या कर दिया। आवेदक प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त नहीं है।

क्रमशः

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,षष्टम् सह विशेष न्यायाधीश
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम
बिहारशरीफ,नालन्दा।
उपस्थितिः– धीरज कुमार भास्कर,अपर सत्र न्यायाधीश,षष्टम् सह विशेष न्यायाधीश
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम
बिहारशरीफ,नालन्दा।

अग्रिम जमानत आवेदन सं0 2361/25
गोलू कुमार बनाम बिहार सरकार

लगातार

12.03.2026

केस दैनिकी के कंडिका–5 में सूचिका अभियोजन घटना का समर्थन की है तथा कंडिका–8, 9, 10, 11 एवं 12 में साक्षियों ने अभियोजन घटना का समर्थन करते हुए अभियुक्त कारू कुमार के उक्त हत्या की घटना में संलिप्तता के संबंध में व्यान दिये हैं। कंडिका–49 के अवलोकन से प्रतित होता है कि वाद के सह–अभियुक्त कारू कुमार ने मृतिका अनिता देवी की हत्या में स्वयं के साथ–साथ आवेदक की भी संलिप्तता के संबंध में व्यान दिया है। मृतिका के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अवलोकन से प्रतित होता है कि चिकित्सक द्वारा मृतिका के मुत्यु के कारण के संबंध में कहा है कि उनकी मृत्यु Firearm injury के कारण हुई है। आवेदक के विरूद्ध एक गंभीर प्रकृति का आरोप लगाया गया है। अतः आवेदक को जमानत पर मुक्त करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के विवेचना करने के उपरांत न्यायालय द्वारा आवेदक गोलू कुमार की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को **खारिज** किया जाता है।

(लेखापित एवं संशोधित)
ह0/–
(धीरज कुमार भास्कर)
अपर सत्र न्यायाधीश–षष्टम्
सह विशेष न्यायाधीश
अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम
नालन्दा, बिहारशरीफ।